बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,
बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्री नगर, पटना-23

अधि०सं०:- 46 दिनांक:- 2.6.92

-: अधिसूचना :-

बिहार विधान सभा प्रदूषण नियंत्रण समिति की अनुशंसा और बिहार सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग का संकल्प 470ई0, दिनांक 31.3.92 की कंडिका 4 की पृष्ठभूमि में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अंतर्गत 27 नवम्बर, 1989 को निर्गत "मैनुफैक्चर, स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट आॅफ हजारडस केमिकल रूल्स (शेड्यूल-5-क्रमांक 3)" के तहत कूकिंग गैस सीलींडर्स के भंडारण से संभावित विपदा प्रबंधन हेतु यथा इस परिसंकटमय पदार्थ का भंडारण का साइट एण्ड आॅन साइट प्लान अनुमोदन के उद्देश्य से निम्न समिति गठित की जाती है :-

(1)	सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, बिहार, पटना ।	अध्यक्ष
(2)	जोनल आॅफिसर-I/जोनल आॅफिसर-II प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, बिहार, पटना ।	संयोजक (अपने-2 जोन के लिये)
(3)	राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उप परामर्शी, पर्यावरण (श्री आ० सिंह), वन एवं पर्यावरण विभाग ।	सदस्य

विशेष आमंत्रित

(1)	इंडियन आॅयल काॅरपोरेशन का राज्य अंतर्गत मार्केटिंग डिवीजन के प्रतिनिधि (जो क्षेत्रीय पदाधिकारी स्तर से कम नहीं) ।	आमंत्रित सदस्य ।
(2)	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम काॅरपोरेशन का मार्केटिंग डिवीजन के प्रतिनिधि (जो क्षेत्रीय पदाधिकारी स्तर से कम नहीं) ।	आमंत्रित सदस्य ।
(3)	प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी, आवश्यकतानुसार ।	आमंत्रित सदस्य ।

कृ०पृ०उ०

2. उपर्युक्त समिति का दायित्व निम्न होगा:-

   (1) कूकिंग गैस आइसोलेटेड स्टोरेज स्थल का अनुमोदन ।

   (2) ऑन साइट इमरजेंसी प्लान का अनुमोदन ।

3. कूकिंग गैस स्टोरेज के मालिकों को इस अधिसूचना निर्गत की तिथि से दो महीने के अंतर्गत संलग्न अनुलग्नक में भंडारण स्थल का ब्योरा, मानचित्र और ऑन साइट प्लान तैयार कर समिति के संयोजक को निश्चित रूप से उपस्थापित करना है । नया स्टोरेज साइट पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व स्थल का अनुमोदन प्राप्त करना है । किसी भी दुर्घटना की सूचना तुरंत देना है ।

4. समिति के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उप परामर्शी, पर्यावरण बैठक की अध्यक्षता करेंगे ।

5. उपर्युक्त समितियों के सदस्यों का यात्रा भत्ता आदि उनके स्थापना पद से विकलनीय होगा ।

6. इस अधिसूचना से, संबंधित गैस सिलिण्डर रूल्स, पेट्रोलियम रूल्स या कूकिंग गैस सिलिण्डर्स से संबंधित अन्य नियम एवं नियमावली के प्रावधान शिथिल नहीं होंगे ।

7. समिति की बैठक नियमित रूप से 2-2 महीने के अंतराल पर बारी-बारी से पटना, जमशेदपुर, धनबाद, राँची, मुजफ्फरपुर और बेतिया में आवश्यकतानुसार होगी ।

"आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को कूकिंग गैस स्टोरेज के मालिकों के सूचनार्थ समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महाप्रबंधक इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन/मार्केटिंग डिवीजन, पटना को भेजी जाय । इन्हें भी कूकिंग गैस एजेन्सीयों को अपने-2 स्तर से सूचित करने का अनुरोध किया जाय" ।

रमेश चन्द्र सिन्हा

(डॉ० रमेश चन्द्र सिन्हा)
अध्यक्ष ।
प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ।

ज्ञापांक:- 825

दिनांक:- 2.6.92

प्रतिलिपि:- समिति से संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रमेश चन्द्र सिन्हा

(डॉ० रमेश चन्द्र सिन्हा)
अध्यक्ष ।
प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ।